आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.20(101) आयो./आकाशि/ 2018-19/ AISHE/ 1594 दिनांक 5.3.2019

अंतिम स्मरण पत्र

समस्त प्राचार्य
राजकीय/ निजी / बीएड महाविद्यालय
राजस्थान

विषय : AISHE 2018-19 के लिए DCF-II अपलोड करने की दिनांक 28.2.2019 से बढ़ा कर 31.3.19 करने बाबत |
सन्दर्भ : समसंख्यक पत्र क्रमांक 1553 दिनांक 5.12.18, क्रमांक 1563 दिनांक 4.1.2019, क्रमांक 1579 दिनांक 4.2.19, क्रमांक 1590, 15.2.19 एवं क्रमांक 145, 25.2.2019 (निजी व बीएड)

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम लेख है कि आपको **AISHE 2018-19 के लिए DCF-II दिनांक 28.2.2019 तक अपलोड करने हेतु** निर्देशित किया गया थाI इस क्रम में महाविद्यालयों के लिए DCF-II अपलोड करने की **अंतिम तिथि 31.3.19** की जाती है I ध्यान रहे यह तिथि अंतिम अवसर के रूप में बढाई गई है इस तिथि के पश्चात मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यह तिथि नहीं बढाई जावेगी I

ऐसे महाविद्यालय जिनके नाम AISHE पोर्टल पर रजिस्टर नहीं है वे भी 31.3.19 तक अपने महाविद्यालय का नाम "Request For Adding Institute in AISHE Portal" लिंक http://aishe.nic.in/aishe/addInstitutePage पर क्लिक कर अपने महाविद्यालय व महाविद्यालय के नोडल ऑफिसर सम्बंधित जानकारी भरें तथा Proof of Existence के लिए महाविद्यालय की राज्य सरकार की NOC व विश्वविद्यालय का affiliation पत्र एक ही pdf फाइल में बनाकर अपलोड करें I

विभाग के आदेश क्रमांक F4(20)CCE/PI/2018/75, दिनांक 30.7.18 के द्वारा नामित समस्त नोडल राजकीय महाविद्यालयों को पुनः प्रेषित कर लेख है कि वे अपने अधीन **सामान्य निजी महाविद्यालयों व बीएड महाविद्यालयों** को अपने स्तर पर **दूरभाष/SMS** पर उन्हें निरंतर सूचित करते हुए अंतिम तिथि से पूर्व DCF-II अपलोड करने हेतु निर्देशित करेंI DCF-II अपलोड करने में यदि निजी महाविद्यालयों/ बी.एड. महाविद्यालयों को तकनीकी सहायता आवश्यक हो तो उन्हें महाविद्यालय में यह सहायता उपलब्ध करवाते हुए उस महाविद्यालय का DCF-II अपलोड संपन्न करवाने का श्रम करें I **इस सम्बन्ध में महाविद्यालय से पत्र व्यवहार करते समय अपने महाविद्यालय के AISHE नोडल अधिकारी का मोबाइल नंबर भी निजी/बीएड महाविद्यालयों को सूचित करें जिससे यह कार्य निर्धारित तिथि तक पूर्ण हो सकेI**

समस्त निजी महाविद्यालयों की राज्य सरकार की NOC नीति अनुसार DCF-II अपलोड करना अनिवार्य किया जा चुका हैI निजी महाविद्यालय अपने नोडल राजकीय महाविद्यालय से तकनीकी मदद के लिए विभागीय आदेश क्रमांक F4(20)CCE/PI/2018/75, दिनांक. 30.7.18 का अवलोकन कर लें I (ये पत्र विभागीय वेबसाइट पर सम्बंधित तिथि पर उपलब्ध हैI). उक्तानुसार नोडल राजकीय महाविद्यालय से मदद लेते हुए अपना DCF-II 31.3.19 तक अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें I

इस कार्य को निर्धारित तिथि तक पूर्ण करवाने की समस्त जिम्मेदारी प्राचार्य की होगी I

इस संबंध में सम्पूर्ण जानकारी व गाइडलाइन्स AISHE पोर्टल http://aishe.nic.in/aishe/surveyguideline पर उपलब्ध हैं। इसी क्रम में अन्य जानकारी एवं सहायता हेतु 0141-2706106 पर डॉ. पंकज माथुर/श्री बनफूल अग्रवाल/श्री संदीप कुमार से कार्यालय समय में संपर्क किया जा सकता है|

(प्रदीप कुमार बोरड, IAS)
आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं
विशिष्ट शासन सचिव- उच्च एवं संस्कृत शिक्षा

प्रतिलिपि :

1. डॉ. अर्चना शुक्ला, डिप्टी डायरेक्टर, MHRD, नई दिल्ली I
2. संयुक्त निदेशक (निजी संस्थाएं),पृथक से निजी महाविद्यालयों को निर्धारित तिथि तक DCF-II अपलोड करवाने हेतु निजी महाविद्यालय की नीति अनुसार निर्देशित करवाना सुनिश्चित करेंI
3. समस्त रजिस्ट्रार एवं नोडल अधिकारी (AISHE) को सम्बद्धक महाविद्यालयों को दिनांक 26.2.19 को रिव्यु मीटिंग अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सूचित करें I
4. समस्त सहायक निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय को भेज कर लेख है कि वे अपने क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालयों/निजी महाविद्यालयों को जागरूक करें व DCF-II अपलोड करने हेतु निर्देशित करेंI
5. समस्त नोडल राजकीय महाविद्यालयों को भेज कर लेख है कि वे निजी व बीएड महाविद्यालयों से संपर्क कर DCF-II अपलोड करवाना सुनिश्चित करें I
6. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु |

आयुक्त कॉलेज शिक्षा